न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
11.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने अवगत कराया कि वादपत्र में पटवारी हल्का अजमेरी खटकड से जांच रिपोर्ट चाही गई थी। जबकि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.08.2022 में सहवन से तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट लिए जाने का अंकन हो गया। जिसे दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया गया हैं। वकील वादीगण के निवेदन पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के स्थान पर पटवार हल्का अजमेरी खटकड को पढे जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। वादपत्र में पटवारी हल्का अजमेरी खटकड से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने प्रकरण में पटवारी हल्का अजमेरी खटकड से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
06.02.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादीगण पूर्व में एक पक्षीय सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखकर सुनाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.04.06 10:13:22 IST Reason: SelfAttested 06/02/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
310/2012	2018/00111	06.09.2012	06.02.2023

बी0टी0 नम्बर 41/2018

उनवान प्रकरण

1. करण सिंह पुत्र बचनसिंह
2. मदनसिंह पुत्र बचनसिंह
3. अनोप कंवर पत्नी स्व0 बचनसिंह (नाम हजफ 05/12/19)

जाति राजपूत निवासीगण ढाणी बहादुरसिंह वाली तन खटकड तहसील–नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—— वादीगण——

बनाम

1. रामसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बहादुरसिंह वाली तन खटकड तहसील नीमकाथाना हाल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादी——

उपस्थित :–
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:13:22 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1152 रकबा 1.44 है0, ख0न0 1152/1191 रकबा 1.01 है0, ख0न0 1157 रकबा 0.95 है0 कुल किता 3 रकबा 3.40 है0 ग्राम खटकड तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण नं0 1 व 2 के पिता व वादिया नं0 3 के पति बचनसिंह 1/3 हि0 दर्ज थी व मानसिंह, नारायणसिंह पुत्रगण दीनूसिंह 2/3 हि0 दर्ज थी। वादीगण न0 1 व 2 का पिता बचनसिंह, मानसिंह, नारायणसिंह तीनो सगे भाई थे। वादीगण नं0 1 व 2 का पिता अपने जीवनकाल में 1/3 हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहें व उनकी मृत्यु के बाद वादीगण 1/3 हिस्से पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त भूमि की सिंचाई चाह ख0 न0 1155 से होती है। जिस पर विद्युत कनेक्शन लगा हुआ हैं, जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा हैं। ख0न0 1153 में रिहायशी मकानात है। उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीगण नं0 1 व 2 के पिता का देहान्त सन 1988 में हो गया। वादी नं0 2 दिल्ली वाटर सप्लाई विभाग में काम करता है। प्रतिवादी ने गलत रूप से स्वयं को बचनसिंह का पुत्र दर्ज करवाते हुए नामान्तकरण पटवारी हल्का से साजिश कर वादीगण के अलावा स्वयं का नाम भी दर्ज करवा कर नामांतकरण बाला–बाला स्वीकार करवा कर गलत तौर से खातेदारी प्राप्त करने की कार्यवाही की। प्रतिवादी के पिता का नाम मानसिंह है। वादीगण से प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं रहा, न हैं। वादीगण के 1/3 हिस्से की भूमि से भी प्रतिवादी का कोई ताल्लुक नहीं है। प्रतिवादी ने उक्त कार्यवाही स्वयं को लाभ पहुंचाने की नियत से फर्जी तौर पर छलकपट करके की। प्रतिवादी के विरूद्ध इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने पर 420, 467, 471 आई0पी0सी0 के अंतर्गत पुलिस द्वारा चालान प्रस्तुत किया गया जो मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी को उक्त जानकारी होने के बावजूद प्रतिवादी ने राजस्व रिकार्ड से अपना नाम वादीगण के 1/3 हिस्से से नहीं हटवाया एवं उक्त रिवाज का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की नियत से वादीगण को दिनांक 15.07.2012 को धमकी दी। प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में वादीगण के 1/3 हिस्से में से अपना नाम हटाने हेतु कहने पर इंकार कर दिया। वादकारण प्रतिवादी द्वारा गलत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:13:22 IST
Reason: SelfAttested

04/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तौर से स्वयं को बचनसिंह का पुत्र बताते हुए वादीगण के 1/3 हिस्से में अपना नाम दर्ज करवाने व प्रतिवादी को इस बारे में कहने पर अपना नाम हटवाने से इंकार करने व दिनांक 15.07.2012 को वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की धमकी देने से अन्दर क्षैत्र न्यायालय पैदा हुआ है। वादीगण ने वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर वादीगण नं0 1 व 2 के पिता बचनसिंह के 1/3 हिस्से की उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी मानसिंह का पुत्र होने के कारण उसका नाम उक्त खातेदारी से हटाया जाने बाबत डिक्री पारित फरमायी जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। यह वाद वास्ते घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी की ओर से श्री सत्यनारायण एड0 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। जिस पर प्रकरण में तनकी कायम की गई। प्रकरण का क्षेत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना से न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर में हो जाने से प्रकरण स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी की ओर से इस न्यायालय में असालतन या वकालतन किसी के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण के द्वारा वादिया नम्बर 3 के फौत होने तथा उनके वारिसान के पूर्व से रिकार्ड पर मौजूद होने से मृतका का नाम हजफ किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादिया नम्बर 3 का नाम हजफ किया गया। साक्ष्य वादीगण में सुवादास पुत्र मांगुदास, करणसिंह पुत्र बचनसिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। साक्ष्य वादीगण बन्द की गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में पटवारी हल्का अजमेरी(अटरकला) से प्रकरण की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई। जो दिनांक 11.01.2023 को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:13:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

06/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 की जमाबन्दी, प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना अजीतगढ, अंतिम परिणाम साक्ष्य वादीगण ने पेश शपथ पत्रों, पटवारी हल्का खटखड़ से प्राप्त जांच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादी के 1/3 हिस्से की दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता बचनसिंह, मानसिंह, नारायणसिंह तीनों सगे भाई होना प्रकट होता हैं। प्रतिवादी रामसिंह बचनसिंह का पुत्र नहीं होकर मानसिंह का पुत्र होना थाना अधिकारी पुलिस थाना अजीतगढ की रिपोर्ट से प्रकट होता हैं। वादग्रस्त आराजी भूमि की खातेदारी बचनसिंह व उसके भाई मानसिंह, नारायणसिंह के नाम 1/3–1/3 की खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। जिसमें प्रतिवादी रामसिंह के पिता मानसिंह के नाम पृथक से 1/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड होने से उसका नाम उक्त खातेदारी से हटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का खटखड ने भी अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि बच्चनसिंह व मानसिंह दोनो भाइयों के पुत्रों में सबसे बडा मदनसिंह व कर्णसिंह ही है। इनसे छोटा मानसिंक का लडका उम्मेदसिंह है। जो फौत हो चुका है। मानसिंह के सभी लडके उम्मेदसिंह से छोटे है। मजमेआम जांच करने पर पाया गया कि लोगो ने बताया बच्चनसिंह के दो ही लडके हैं। [illegible] कर्णसिंह हैं। बच्चनसिंह के कोई लडकी नहीं है। जिनमें बड़ा मदनसिंह [illegible] हैं। बच्चनसिंह के कोई लड़की नहीं हैं। बच्चनसिंह की पत्नी का इन्तकाल [illegible] है। मौके पर लोगो ने बताया कि राजस्व रिकार्ड में रामसिंह पुत्र बच्चनसिंह गलत [illegible] हो गया जो गलत हैं। रामसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:13:22 IST
Reason: SelfAttested

06/04/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तो मानसिंह का पुत्र है। बच्चनसिंह की भूमि के तीन वारिस हैं जो निम्न प्रकार है– 1 अनोप कंवर पत्नी बच्चन सिंह 2. मदनसिंह पुत्र बच्चनसिंह 3. कर्णसिंह पुत्र बच्चनसिंह रामसिंह बच्चनसिंह का जाइन्दा पुत्र नहीं है। इसलिए बच्चनसिंह का वारिस नहीं है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होकर अंकित है। विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन नामावली 1998 के भाग संख्या 113 के अनुभाग ढाणी मानसिंह वाली खटकड में रामसिंह पिता मानसिंह पुरुष 33 वर्ष दर्ज है। इस अनुसार रामसिंह बच्चनसिंह का वारिस नहीं है। मजमेआम में लोगों ने बताया कि बच्चनसिंह की खातेदारी भूमि में से रामसिंह पुत्र बच्चनसिंह का नाम हजफ किया जाता हैं। तो कोई गलती नहीं होगी। बच्चनसिंह, मानसिंह के लडकों को ही रिपोर्ट में दर्शाया गया हैं। पुत्रियों को नहीं व नारायण सिंह के वारिसान का अंकन नहीं किया हैं। इस प्रकार पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट से भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हैं तथा वादपत्र को बल मिलता है। प्रकरण में प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 05.12.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादपत्र में पूर्व में दिनांक 05.05.2014 को कायम की गई तनकीवाईज निर्णय नहीं किया जाकर सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। जिसके आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि ख0न0 1152 रकबा 1.44 [illegible] 1.01 है0 व ख0न0 1157 रकबा 0.95 है0 कुल कित[illegible] तन् ग्राम खटकड तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीक[illegible] वादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज की जावें तथा उक्त 1/3 हिस्से [illegible] प्रतिवादी रामसिंह के मानसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:13:22 IST
Reason: SelfAttested

06/02/21
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

का पुत्र होने के कारण प्रतिवादी का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वे वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें ना ही दीगर से करावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दुरस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/02/23

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06/02/23

(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फारेस्ट ट्रेक)

श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.04.06 10:13:22 IST
Reason: SelfAttested